

विभागीय अपील सं. 05 / 2018 जोधपुर

खीमाराम, पटवारी बनाम जिला कलेक्टर जालोर

27.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कार्मिक खीमाराम उपस्थित। नॉन अपीलार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार अनुपस्थित। अपीलांट को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया गया। अपीलांट को सुनने और उपलब्ध तथ्यों पर मनन करने के बाद जिला कलेक्टर (भू0अ0) जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक: एफ.1(18)()विजा / भू.अ. / 2015 / 888 दिनांक 02.03.2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ कार्यालय का रेकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।



27.2.2023
खीमाराम के लिए

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर